JALAUN POLICE

दिनांक – 06.02.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना कदौरा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वान्छित अभियुक्त/गैंग लीडर मो0 अजमल को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

कृपया अवगत कराना है कि अभियुक्त मो0 अजमल पुत्र स्व0 मोहम्मद अच्छन निवासी टण्डन बाजार अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 38 वर्ष एक सुसंगठित एवं सक्रिय गैंग बनाकर अवैध रूप गोकशी करने जैसे संगीन अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है, जो गोकशी करके गोमाँस एवं गोवंश के अवशेष को बेचकर आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करके समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त है। अभियुक्त मो0 अजमल उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व में थाना कदौरा पर गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत था, अभियुक्त मो0 अजमल उक्त संगठित गिरोह का गैंगलीडर है। जिसके क्रम में गैंगलीडर एवं गैंग के सक्रिय सदस्यों के विरूद्ध थाना कदौरा पर मु0अ0सं0 19/2025 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में गैंग लीडर मो0 अजमल वान्छित चल रहा था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वान्छित अभियुक्त/गैंग लीडर की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कदौरा को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 06.02.2025 को थाना कदौरा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी एवं चैकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना कदौरा क्षेत्र में कदौरा - जोल्हूपुर कालपी सड़क पर मुमताजाबाद गांव की तरफ जाने वाले रास्ते से अभियुक्त/गैंग लीडर मो0 अजमल को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 अजमल पुत्र स्व0 मोहम्मद अच्छन निवासी टण्डन बाजार अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 38 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 65/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 420/467/471 भादवि थाना कदौरा
2. मु0अ0सं0 19/2025 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कदौरा

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष कदौरा मय पुलिस टीम